ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सनोली में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती जसबीर कौर	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	28.17
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.81
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.11
4)	7.4	प्रधान / सचिव द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में भुगतान करना	0.41
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.63
6)	8.2	आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई खनन सामग्री के ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान	0.87
7)	8.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	0.47
8)	8.4	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	0.35
9)	8.5	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.20
10)	9	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	12.54

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30.09.2024 से 07.10.2024 तक ग्राम पंचायत सनोली के कार्यालय में किया गया। आय व्यय

की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	06/2022
2023-24	02/2024	09/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 830/2024 दिनांक 07/10/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत सनोली द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अजौली के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 611335 दिनांक 07/10/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4(क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत सनोली द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात्

स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS & अनुदान समेकित) Offline, 15वां वित्तायोग Online, एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (अंशदान) Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	3890346.60	2335300	6225646.60	3840510.00	2385136.60
2	2023-24	2385136.6	3124250	5509386.60	2691981.6	2817405.00

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सनोली के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **शून्य** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा **4(क)** का अंतशेष	2817405.00
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**2817192.00**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	213.00
4)	**योग (2+3)**	**2817405.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

(ग) स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क"(स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र

रूप से रोकड़ बही, लेजर खाते अथवा वर्गीकृत सार का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को प्रथम से अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार खातों का संचालन किया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/490/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹28.17 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹2817405.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPS/490/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए |

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPS/490/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.81 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPS/490/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹181190 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	174090	38900	212990	0	212990
2023-24	212990	39300	252290	71100	181190

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्र परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹10800** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	7000
2	2023-24	3800
	योग	**10800**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 818/2024 दिनांक 04/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹3200** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	1000
2	2023-24	2200
	योग	**3200**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 819/2024 दिनांक 04/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा

स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राशि को दिनांक 30.09.24, 04.10.24 व 07.10.24 को निधि लेखे में जमा करवा दिया गया है, जिसे राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.4 प्रधान / सचिव द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके ₹0.41 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से किए गए व्यय के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न वर्णित ₹40733** की मजदूरी के लिए भुगतान प्रधान द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार **₹1000** से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 823/2024 दिनांक 05/10/24 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट गया कि उक्त नगद भुगतान मजदूरों के बैंक खाते न होने के कारण किया गया था | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नियमानुसार मजदूरों को भुगतान करने से पूर्व उनके बैंक में खाते आवश्यक रूप में खुले होने चाहिए थे। अतः नियमों के विपरीत किए गए व्यय के दृष्टिगत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**आहरित की गई राशि (₹)**	**भुगतान की गई राशि (आहरित + हस्तगत) (₹)**	**टिप्पणी**
1	828871	17.06.22	40733	40733	मजदूरी
			योग	**40733**	

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.63 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹462843** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए विना किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 820/2024 दिनांक 04/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	49 to 52 06/22	169 to 172 02.06.22, 03.06.22, 06.06.22, 09.06.22	M/s Chabba Polymers Santoshgarh	PVC Pipes	158371
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	53 to 55 06/22	173 to 175 01.06.22, 04.06.22, 10.06.22	M/s Chabba Polymers Santoshgarh	PVC Pipes	135004
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	70 06/22	021 10.06.22	Gaurav Kumar Cycle Works Santokhgarh	Maintenance of Rickshaw	2200
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	61 to 67 09/23	95 to 100, 105 09.08.23,	Nand hardware store sanoli	Sanitary material	35412

			10.08.23			
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	74 09/23	1263 06.09.23	M/s Himanshu Enterprises Tahliwal	Steel	36447
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	75 09/23	1264 08.09.23	M/s Himanshu Enterprises Tahliwal	Steel	42757
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	76 09/23	1265 11.09.23	M/s Himanshu Enterprises Tahliwal	Steel	42752
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	83 09/23	415 28.09.23	A-Venture IT Hub Bathri	Computer Accessories	9900
					योग	**462843**

8.2 आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹0.87 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं कि जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 09/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹86940** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 825/2024 दिनांक 05/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त

ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹86940** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 ₹0.47 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 में **₹47082** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 824/2024 दिनांक 05/10/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	दिनांक	विवरण	राशि(18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	1	01.08.21	4200 पेवर / ब्लॉक्स @ 11.21 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	47082
				योग	**47082**

8.4 ₹0.35 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 09/2023 में **निम्न विवरणानुसार ₹35412** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 821/2024 दिनांक 04/10/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	61 to 67 09/23	95 to 100, 105 09.08.23, 10.08.23	Nand hardware store sanoli	Sanitary material	35412
					योग	**35412**

8.5 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.20 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1014430** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹20288.60** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	Sanjeev Construction Mehatpur	रेत, बजरी इत्यादि	417852	417852	8357.04 (2% x 417852)
2	2022-23	Chabba Polymers Santokhgarh	Pvc Pipes	596578	596578	11931.56 (2% x 596578)
			योग	**1014430**	**1014430**	**20288.60**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 829/2024 दिनांक 07/10/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹20288.60** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 ₹12.54 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 09/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "च" में वर्णित** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹1254180** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे माप पुस्तिकाएं, प्रस्ताव, प्राक्कलन, फार्म 34 प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति इत्यादि को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 822/2024 दिनांक 04/10/2024 तथा अनुस्मारक संख्या 827/2024 दिनांक 05/10/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण दौरान पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 826/2024 दिनांक 05/10/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/492/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	372 20.06.22	रेत, बजरी इत्यादि	27720

2	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	371 19.06.22	रेत, बजरी इत्यादि	47880
3	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	375 24.06.22	रेत, बजरी इत्यादि	11340
4	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	764 20.06.22	ईंटे	41250
5	स्व स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1265 11.09.23	सरिया	42752

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 812/2024 दिनांक 01/10/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPS/491/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है । यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 811/2024 दिनांक 01/10/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPS/490/2024-25 दिनांक 07/10/2024 द्वारा अंकेक्षण को

पंजी०

अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

पंजी० 13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

02 DEC 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/ल०नि०

5837 — 5841

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)114/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. पंजीकृत — सचिव, ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 DEC 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/ल०नि०

परिशिष्ट "क" 　　　　　　　　　　पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3890346.60	2335300	6225646.60	3840510.00	2385136.60
2	2023-24	2385136.6	3124250	5509386.60	2691981.6	2817405.00

Secretary
Gram Panchayat,
Block Una (H.P.)

ग्राम पंचायत सनोली, विकास खण्ड ऊना व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2779084.6	926844	3705928.6	2187592	1518336.6
2	2023-24	1518336.6	2009401	3527737.6	2195433.6	1332304

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS & Offline Grants समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	94000	94000	94000	0
2	2023-24	0	403340	403340	239808	163532

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1047046	1021037	2068083	1267332	800751
2	2023-24	800751	493616	1294367	40856	1253511

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	291586	291586	291586	0
2	2023-24	0	215884	215884	215884	0

IWMP (Public Share) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	64216	1833	66049	0.00	66049
2	2023-24	66049	2009	68058	0	68058

Secretary
Gram Panchayat,
Block Una (H.P.)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2817405.00
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2817192.00**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	213.00
4)	**योग (2+3)**	**2817405.00**
5)	**अन्तर (4-1)**	**00.00**

Secretary
Gram Panchayat,
Block Una (H.P.)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4 (ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	PNB SANOLI (SBM)	7412000100044076	163532.00
	PNB SANOLI (15TH FC)	7412000100040265	1253511.00
	KCCB AJOULI (IWMP PUBLIC SHARE)	20114023929	68058.00
	PNB SANOLI (14TH FC)	7412000100036208	0.00
	KCCB AJOULI (OWN & GIA)	20114014835	1332091.00
		योग	**2817192.00**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	213.00
		योग (1+2)	**2817405.00**

Secretary
Gram Panchayat, Sanoh
Block Una (H.P.)

परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत सनोली , विकास खण्ड ऊना , जिला ऊना (हि.प्र.)

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (रु)	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	174090	38900	212990	0	212990
2023-24	212990	39300	252290	71100	181190

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में संदर्भित

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2022-2023

क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि	
1	GULSHAN KUMAR	10-02-2022	11-04-2022	173540/3	400	400	0	
2	HARVINDER KUM AR	15-01-22.	11-04-2022	173541/3	400	400	0	
3	MANDEEP SINGH	24-04-2022	06-05-2022	173547/3	200	200	0	
4	MUNISH KUMAR	21-04-2022	06-05-2022	173548/3	200	200	0	
5	SURJEET SINGH	22-05-2022	01-08-2022	173913/7	400	0	400	R.N. 173913
6	YOGESH KUMAR	07-09-2022	28-11-2022	173570/3	400	400	0	
7	RAM PARKASH	01-10-2022	15-12-2022	173572/3	400	400	0	
8	RAJAT DHIMAN	02-12-2022	15-12-2022	173573/3	200	200	0	
9	KULWINDER KUMAR	02-12-2022	16-12-2022	173574/3	200	200	0	
10	KULDEEP SINGH	02-12-2022	16-12-2022	173575/3	200	200	0	
11	RAVINDER KUMAR	09-12-2022	27-12-2022	173578/3	200	200	0	
12	CHETAN	07-12-2022	27-12-2022	173579/3	200	200	0	
13	DINESH KUMAR	11-12-2022	02-01-2023	173580/3	200	200	0	
14	JAGDEEP SINGH	06-01-2022	02-01-2023	173581/3	400	400	0	
15	SHIV KUMAR	10-12-2017	20-01-2023	173582/3	400	400	0	
16	GURJEET SINGH	03-12-2022	20-01-2023	173583/3	400	200	200	R.N.173916
17	GURPREET SINGH	27-01-2023	16-02-2023	175586/3	200	200	0	
18	AMANDEEP	26-01-2023	16-02-2023	173587/3	200	200	0	
19	SATVEER KUMAR	27-01-2023	16-02-2023	173588/3	200	200	0	
20	JUJHAR SINGH	09-02-2023	16-02-2023	173589/3	200	200	0	
21	ARUN	23-02-2023	25-02-2023	173591/3	200	200	0	
22	VARUN	10-02-2023	02-03-2023	173593/3	200	200	0	
23	SAURAV KUMAR	22-02-2023	02-03-2023	173594/3	200	200	0	
24	KULDEEP SINGH	10-02-2023	02-03-2023	173595/3	200	200	0	
25	SATNAM SINGH	26-02-2023	10-03-2023	173596/3	200	200	0	
26	SANDEEP KUMAR	23-02-2023	14-03-2023	173597/3	200	200	0	
27	CHARAN JEET	08-12-2013	21-03-2023	173598/3	400	200	200	173916

28	HARVINDER	01-03-2023	21-03-2023	173600/3	200	200	0
29	GURMAIL SINGH	22-02-2023	21-03-2023	173599/3	200	200	0
30	HARDEEP SINGH	14-10-2008	28-03-2023	173601/3	400	200	200
				योग	**8000**	**7000**	**1000**

173916

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2023-2024

क्रमांक संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली शेष राशि	
1	AVTAR SINGH	20-09-2015	06-04-2023	173602/4	400	200	200	R/No 173905
2	SACHIN SHARMA	10-04-2023	06-05-2023	173604/4	200	200	0	
3	SATNAM SINGH	23-05-2023	09-06-2023	173904/7	200	0	200	R/N 173904
4	ROHIT KUMAR	13-06-2023	01-07-2023	173680/4	200	200	0	
5	ARUN KUMAR	01-07-2023	06-07-2023	173681/4	200	200	0	
6	KULDEEP SINGH	08-12-2022	28-08-2023	173685/4	400	400	0	
7	HITESH KUMAR	06-09-2023	15-09-2023	173692/4	200	200	0	
8	JAGDEEP SINGH	15-10-2023	02-11-2023	173693/4	200	200	0	
9	HARDEEP SINGH	01-11-2023	20-11-2023	173696/4	200	200	0	
10	SOM NATH	11-11-2004	04-12-2023	173700/4	400	400	0	
11	DHARMENDER KAINTH	10-11-2023	04-12-2023	173701/5	200	200	0	
12	RISHIV	18-11-2023	11-12-2023	173702/5	200	200	0	
13	SUNIL KUMAR	12-12-2018	11-12-2023	173703/5	400	400	0	
14	OM KUMAR	18-11-2023	02-01-2024	173881/6	400	200	200	R/No 173906
15	MANJEET SINGH	22-11-2020	02-01-2024	173882/6	400	200	200	R.N 173914
16	ASHISH KAINTH	18-10-2023	02-01-2024	173883/6	400	200	200	R.N 173915
17	HARI NARYAN	07-12-2023	02-01-2024	173884/6	200	200	0	
18	LAKVEER SINGH	21-01-2024	09-02-2024	173907/7	200	0	200	R.N. 173907
19	VIRENDER SINGH	21-01-2024	09-02-2024	173908/7	200	0	200	R.N 173908
20	NIKHIL KHAINTH	04-02-2024	01-03-2024	173909/7	200	0	200	R.N 173909
21	SURAJ KUMAR	04-03-2024	23-03-2024	173910/7	200	0	200	R.N 173910
22	KULDEEP SINGH	03-03-2024	28-03-2024	173911/7	200	0	200	R.N 173911
23	RAJAT	02-03-2024	28-03-2024	173912/7	200	0	200	R.N 173912
				योग	6000	3800	2200	

Secretary Gram Panchayat Block (H.P.) Sarvi

परिशिष्ट 'घ'   पैरा संख्या 8.2 में सम्बन्धित

GRAM PANCHAYAT SANOLI DEV. BLOCK UNA (HP)

6/2022 में Sanjeev Construction Mehatpur Distt. Una को किये गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या /माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1	स्व. स्रोत व अनुदान (समेकित)	61/6-2022	C/O Playground near malookpur border	372	20-06-22	Sanjeev Construction Mehatpur	रेत, बजरी	27720
2	— Do —	65/6-2022	C/O Playground near malookpur border	371	19-06-22	Sanjeev Construction Mehatpur	रेत, बजरी	47880
3	— Do —	69/6-2022	C/O Playground near malookpur border	375	24-06-22	Sanjeev Construction Mehatpur	रेत, बजरी	11340
						Total Amount		**86940**

Secretary
Gram Panchayat, Sanoli
Block Una (HP)

परिशिष्ट 'ड' पैरा संख्या 8.5 में सन्दर्भित

वितीय बर्ष 2022-23 में Sanjeev Construction को किये गए भुगतान का विवरण					
क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि GST को छोड़कर
1	मनरेगा	16	445	31-10-24	4850
2	मनरेगा	17	446	31-10-24	4850
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	3	356	24.02.21	3600
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	4,5,6,9	367	23.07.21	2250
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	7,11	357	22.3.21	1800
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	8,10,24	368	08-09-21	1800
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	14	358	11-05-21	270
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	15	364	21-05-21	1800
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	16	365	07-06-21	1800
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	17	366	21-06-21	1800
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	19	1	01-05-21	3600
12	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	20	2	01-05-21	3600
13	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	21	314	30-01-21	24000
14	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	23	354	02-11-22	16800
15	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	61	372	20-06-22	26400
16	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	62	377	25-06-22	7800
17	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	63	368	17-06-22	42000
18	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	64	369	18-06-22	42000
19	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	65	371	19-06-22	45600
20	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	68	373	21-06-22	33600
21	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	69	375	24-06-22	10800
22	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	77	376	27-06-22	7602
23	15 FC	1	524	12-04-22	630
24	15 FC	2	523	12-04-22	2700
25	15 FC	49	427	04-04-22	33600
26	15 FC	50	428	06-04-22	6000
27	15 FC	51	433	08-04-22	7850
28	15 FC	52	434	09-04-22	17550
29	15 FC	53	436	11-04-22	4850
30	15 FC	54	431	02-04-22	24950
31	15 FC	55	437	14-04-22	2700
32	15 FC	7	479	18-04-22	28400
	TOTAL				417852

Secretary
Gram Panchayat,
Block Una (H.P.)
Sanoh

वितीय बर्ष 2022-23 में Chabba Polymayres को किये गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि GST को छोड़कर
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	12	16	06-04-22	26368
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	13	17	07-04-24	17579
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	49	169	02-06-22	32960
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	50	170	03-06-22	39552
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	51	171	06-06-22	39552
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	52	172	09-06-22	21973
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	53	173	01-06-22	37355
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	54	174	04-06-22	37355
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	55	175	10-06-23	39552
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	138,139	587	04-11-22	4130
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	140	584	07-09-22	30763
12	15 FC	3	14	03-04-22	37355
13	15 FC	4	15	04-04-22	41750
14	15 FC	5	18	05-04-22	8789
15	15 FC	42	581	01-09-22	38552
16	15 FC	43	582	03-09-22	41750
17	15 FC	44	583	05-09-22	32960
18	15 FC	45	585	11-09-22	30763
19	15 FC	46	578	02-07-22	6592
20	15 FC	47	579	02-07-22	2197
21	15 FC	48	586	02-11-22	28731
	TOTAL				596578

Sanoli

परिशिष्ट च पैरा संख्या 9 में संदर्भित

अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि	टिप्पणी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	37 से 38, 43, 46, 64 to 68 /0622	C/o Playground / Stadium near Malookpur Border	EI/22-23/005 15.05.22, 127539 (15.05.22 to 31.05.22), EI/22-23/009 28.05.22, 764 20.06.22, 127542 (01.06.22 to 15.06.22), EI/22-23/006 20.05.22, EI/22-23/010 22.06.22, 372 20.06.22, 377 25.06.22, 368, 369, 371 17.06.22, 127546 (16.06.22 to 30.06.22), 78408 20.05.22, 373 21.06.22	Iron Grill frame, Labour, bricks, labour, Iron Grill Frame, Sand, Agg., Local Carriage, Soil, Labour, Cement	508118	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	

2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	61 to 64 09/23	C/o Community Sanitary Complex near Panchayat ghar	95 to 98 08.07.23	Sanitary material	19237	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	65 to 67 09/23	C/o Community Sanitary Complex near Samudayik Bhawan	99 to 100, 105 09.08.23	Sanitary material	16175	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	68 09/23	C/o Underground Drainage System PVC Pipe from H/O Pyare lal	127585 (01.08.23 to 25.08.23)	Labour	42720	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	69 09/23	C/o Underground Drainage System PVC Pipe from Guru ravidas Mandir to harbans lal	127584 (15.07.23 to 30.07.23)	Labour	5919	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	74 to 78 09/23	C/o Community Bramda / hall near community centre	1263 06.09.23, 1264 08.09.23, 1265 11.09.23, 127586 (01.08.23 to 25.08.23), 77637	Steel, labour, cement	227486	माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।

				04.09.23, 77717 04.09.23			
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	47 06/22	C/o Under ground Drain both side PVC Pipe from Rajesh House to link road	127540 (01.06.22 to 15.06.22)	Labour	45370	प्रस्ताव , प्राक्कलन , ,प्रशासनिक 34 नंबर फार्म व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	48 to 52 06/22	C/o Under ground Drain both side PVC Pipe from link road to Shani Mandir	127541 (01.06.22 to 15.06.22), 169 to 172 02.06.22, 127545 (16.06.22 to 30.06.22), 375 24.06.22	Labour, PVC Pipe, Sand, agg.	238383	यथोपरि
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	53 to 55 06/22	C/o Under ground Drain both side PVC Pipe from Rajesh House to link road	173 to 175 01.06.22, 127544 (16.06.22 to 22.06.22)	PVC Pipe, labour	150772	यथोपरि
					योग	**1254180**	

(DevRaj)
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una